

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, 25th, April, 2019.

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—


1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in item VIII. FEE FOR FILING e- Form ACTIVE under rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014., the following shall be substituted, namely.-

(i) Fee payable till 15.06.2019 on e -form ACTIVE	----
(ii) Fee payable (in delayed case).	Rs.10,000

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]


K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R.143 (E)	21-02-2019

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

सा.का.नि..... (अ) केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 2013(2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 396,398,399,403 और 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 का और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1. (1) इसका नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में अनुलग्नक के मद VIII में, शुल्क भरने के लिए कंपनी (निगमन)नियम, 2014 के नियम 25क के अधीन, एक्टिव ई-प्ररूप में निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

(i) एक्टिव ई-प्ररूप के लिए 15.06.2019 तक देय शुल्क	-----
(ii) देय शुल्क (विलम्ब के मामले में)	10,000 रुपये

[फा.स. 01/16/2013 सीएल-V (भाग-I)]

के.वी.आर.मूर्ति
25/4/19
के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 268(अ), 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किये गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि. 122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि. 438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि. 493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि. 48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि. 616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि. 905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि. 143(अ)	21.02.2019
